"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2002—आषाढ़ 31, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 4936/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 7 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 7 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2002" है.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2002 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) (चार) उपरान्त निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जावे :—

परंतु अधिरोपित की जाने वाली शास्ति अनधिकृत विकास के ऐसे मूल्यांकन तथा ऐसी अधोसंरचना की विकास लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 4936/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 7 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 7 of 2002)

THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSODHAN) ADHYADESH, 2002

An ordinance to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty-third Year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the "Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sansodhan) Adhyadesh, 2002".

Chhattisgarh Act No. 4 of 2002 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam (No. 21 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Amendment of Section 6.

3. After clause (iv) of sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided that the amount of penalty to be imposed shall not be more than 50% of such evaluation and the cost of development of such infrastructure.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.